न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी :-श्री हेमन्त स्वरूप माथुर, आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/162/2017

उनवान

1. राधेश्याम पुत्र अमरचंद ब्राह्मण निवासी सुरास तहसील माण्डल जिला भीलवाडा

अपीलार्थीगण

बनाम

1. सोहन लाल पुत्र नंदा सुथार निवासी सुरास तहसील माण्डल जिला भीलवाडा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, माण्डल जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, माण्डल के प्रकरण संख्या 166/2008 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 1.7.2016

——

अधिवक्तागण :-

1. श्री एस एल वैद, अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2. श्री बी एल गुर्जर ,अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1
3. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 2.5.2019

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 /वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा सुरास तहसील माण्डल जिला भीलवाडा में खाता संख्या 598 में आराजी नम्बर 272 रकबा 1 बीघा भूमि वादी के खातेदारी

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

आधिपत्य की स्थित है। प्रतिवादी संख्या 1 वादी के पूर्वी दिशा का पडौसी है जिसके आराजी नम्बर 2258/272 है। प्रतिवादी संख्या 1 आये दिन सीमा संबंधी विवाद करता रहता है। वर्ष माह नवम्बर 2007 में वादी की उक्त आराजी संख्या 272 की पूर्व दिशा की ओर करीब 5 बिस्वा भूमि जिसकी नपती पूर्वी भुजा 317 फीट, पश्चिम 317 फीट, उत्तरी भुजा 10 फिट, दक्षिणी भुजा 38 फिट पर हंकाई कर दी। जिस पर वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को हंकाई करने से मना किया तो प्रतिवादी संख्या 1 नहीं माना और वादी को कहा कि वादी अपनी आराजी की नपती करा ले। जिससे वादी को मजबूर होकर उक्त आराजी पत्थरगढी का प्रार्थना पत्र न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, माण्डल के यहॉ प्रस्तुत करना पडा। जिसके प्रकरण संख्या 197/07 होकर जिसका निर्णय दिनांक 20.12.2007 को हआ। उक्त पत्थरगढी आदेश की पालना में भू अभिलेख निरीक्षक माण्डल एवं पटवारी हल्का सुरास ने दिनांक 13.6.2008 को वादी की उक्त आराजी के साथ–साथ अन्य आराजी की भी पत्थरगढी कर पत्थर गढवाये। उक्त पत्थरगढी पर्चा मौका में भी वादी की उक्त आराजी संख्या 272 में 5 बिस्वा पर प्रतिवादी संख्या 1 का कब्जा होना अंकित किया है।

2. वादी के खातेदारी अधिकार की आराजी संख्या 272 रकबा 1 बीघा में प्रतिवादी संख्या 1 ने 5 बिस्वा भूमि पर नाजायज कब्जा कर रखा है जिसका उन्हें कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। वादी प्रतिवादी संख्या 1 से उक्त आराजी पर से उन्हें बेदखल करा, कब्जा प्राप्त करने की अधिकारी है। अतः वादग्रस्त आराजी संख्या 272 रकबा 1 बीघा के पूर्वी दिशा की 5 बिस्वा भूमि जिसकी नपती पूर्वी भुजा, 317 फिट, पश्चिमी भुजा, 317 फिट, उत्तरी भुंजा 10 फिट एवं दक्षिणी भुजा 38 फिट पर से प्रतिवादी संख्या एक को बेदखल करा वादी को कब्जा कराये जाने की डिक्री

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी पारित की जावे। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा भूमि पर नाजायज कब्जा कर लेने से वादग्रस्त आराजी की 5 बिस्वा भूमि के उपयोग–उपभोग करने से वंचित रहा है, व रह रहा है । जिसका हर्जाना 300/–रूपये प्रतिमाह फसल हर्जाना के रूप में प्रतिवादी से दिलाये जाने की डिक्री पारित की जावे।

3. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा वादिया का वाद पत्र स्वीकार किया । जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

4. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

5. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नियमित पेशियों पर उपस्थित होता रहा । प्रकरण में तारीख पेशी दिनांक 21.4.2016 को आगामी तारीख पेशी दिनांक 7.7.2017 नियत की गई एवं पत्रावली तनकियात कायमी में नियत थी। दिनांक 7.7.2016 से पूर्व ही उक्त पत्रावली को ग्राम सुरास पर लोक अदालत कैम्प में रखी गई । जिसकी कोई सूचना अपीलार्थी को नहीं दी गई। अपीलार्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किये बगैर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 1.7.2016 की सर्वप्रथम जानकारी पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 23.5.2017 को आराजी नम्बर 272 एवं आराजी नम्बर 2250/272 की पत्थरगढी कर कब्जा हटाने बाबत मोके पर उपस्थित रहने हेतु मौखिक रूप से दिनांक 17.5.2017 को बताने पर हुई। अपीलार्थी ने अविलम्ब अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

निर्णय की प्रति प्राप्त कर अपील प्रस्तुत की है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किया जावे।

6. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि प्रकरण तनकी कायमी में लंम्बित था तथा आगामी तारीख पेशी दिनांक 7.7.2016 अंकित की गई थी। परन्तु मुकाम लोक अदालत शिविर, सुरास में पत्रावली तलब की जाकर वादी मात्र को सुना जाकर अपीलाण्ट/प्रतिवादी नम्बर 1 के विरूद्ध एकपक्षीय निर्णय सुनाया गया । अपीलार्थी को प्रकरण को लोक अदालत कैम्प, सुरास में रखे जाने बाबत अपीलार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 को कोई विधिवत सूचना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं दी गई। जबकि रेवेन्यू कोर्ट मेन्युअल पार्ट II नियम 30 का हवाला देकर कहा कि प्रकरण में तारीख पेशी परिवर्तित किये जाने की सूचना संबंधित पक्षकार को दिया जाना आवश्यक है।

7. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि पत्थरगढी के आदेश के दौरान भी अपीलार्थी/प्रतिवादी को नहीं सुना गया था। अपीलार्थी अपने खातेदारी की आराजी नम्बर 2258/272 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा आवंटित भूमि पर पर ही काबिज है। वादी/प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अपने कब्जेयाबी के वाद में यह संपुष्ट नहीं किया है कि उसे अपीलार्थी द्वारा कब बेदखल किया गया था अथवा कब अपीलाण्ट ने उसकी भूमि पर कब नाजायज कब्जा किया था। अपीलार्थी ने वादग्रस्त भू भाग पर वर्ष 1992 से अब तक जायज कब्जा होना व पुख्ता बाड से सीमा निर्धारण हाना भी अंकित किया है।

8. प्रत्यर्थी के योग्य अधिवक्ता ने अपील अपीलार्थी मियाद के बिन्दु पर ही खारिज किये जाने का निवेदन किया । साथ ही निवेदन किया कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1/वादी के आवेदन के क्रम में पूर्व में की गई पत्थरगढी के आदेश की पालना में की गई पत्थरगढी रिपोर्ट में प्रतिवादी

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

की 5 बिस्वा भूमि पर अपीलार्थी का कब्जा होना अंकित किया गया है। प्रत्यर्थी/वादी की वादग्रस्त आराजी के 5 बिस्वा भू भाग पर अपीलार्थी का कब्जा होने के उपरान्त ही लोक अदालत की भावना से किया गया अपीलाधीन निर्णय विधिसम्मत है।

9. प्रत्यर्थी संख्या 1 के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि वादग्रस्त भूमि का पुनः विस्तृत सर्वे कराया जावे एवं सर्वे रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित किया जावे। तथा अपील अपीलार्थी खारिज किये जाने की इस्तदुआ की ।

10. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट प्रकट होता है कि प्रकरण तनकी कायमी में लंम्बित था तथा आगामी तारीख पेशी दिनांक 7.7.2016 अंकित की गई थी। परन्तु मुकाम लोक अदालत शिविर, सुरास में पत्रावली तलब की जाकर वादी मात्र को सुना जाकर अपीलाण्ट/प्रतिवादी नम्बर 1 के विरूद्ध एकपक्षीय निर्णय सुनाया गया । अपीलार्थी को प्रकरण को लोक अदालत कैम्प, सुरास में रखे जाने बाबत अपीलार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 को कोई विधिवत सूचना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं दी गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अपीलार्थी/प्रतिवादी को लोक अदालत कैम्प सुरास में उपस्थित होने बाबत कोई नोटिस संलग्न नहीं है।

11. पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य प्रकट नहीं हुआ है जिससे यह निष्कर्षित किया जा सके कि अपीलार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाकर ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया हो, अतः यह निष्कर्षण उचित है कि अपीलाधीन

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

प्रकरण में अपीलार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बगैर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। जबकि नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त की पालना में पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना किसी भी पक्ष के विरूद्ध निर्णय पारित नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री का समर्थन नहीं किया जा सकता है।

12. अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 1.7.2016 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जावे। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 28.5.19 को उपस्थित रहें।

13. निर्णय आज दिनांक 2.5.2019 को सरे इजलास सुनाया गया ।

2/5/19

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा